

प्रेस नोट दिनांक 22.11.2020

1. दिनांक 21.11.20 को वादी का० विकास कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम मिलन पुत्र छोटे लाल नि० बकौली थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 494/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 21.11.20 को वादी उ०नि० श्री मुकुल भारती थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार पुत्र रामफेर नि० इटौजा थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 495/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।